(6 प्रतिशत) में है। सिंध नदी उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों से शुरू होकर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा होते हुए पाकिस्तानी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान को पार करते हुए अरब सागर में जाकर खत्म होती है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहते हैं।

सिंधु जल संधि के पीछे की कहानी

अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इस समझौते की पीछे की कहानी है। ऐरान वोल्फ और जोशुआ न्यूटन अपनी केस स्टडी में बताते हैं कि ये झगड़ा 1947 भारत के बंटवारे के पहले से ही शुरू हो गया था, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच।

1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियर मिले और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आने वाली दो प्रमुख नहरों पर एक 'स्टैंडस्टिल समझौते' पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार पाकिस्तान को लगातार पानी मिलता रहा। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक लागू था। जमात अली शाह के अनुसार 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दो प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालात खराब हो गए थे।

भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए थे जिसमें एक था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया था। स्टडी के मुताबिक 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू ने टेनसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी के बंटवारे पर एक लेख लिखा। ये लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया। और फिर शुरू हुआ दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला।

ये बैठकें करीब एक दशक तक चलीं और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

सिंधु जल संधि की प्रमुख बातें-

1. समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया।

2. समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी, कुछ अपवादों को छोड़े दें, तो भारत बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है। पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए होगा लेकिन समझौते के भीतर कुछ इन नदियों के पानी का कुछ सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को दिया गया, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी। अनुबंध में बैठक, साइट इंस्पेक्शन आदि का प्रावधान है।

3. समझौते के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई। इसमें दोनो देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। ये कमिश्नर हर कुछ वक्त में एक दूसरे से मिलेंगे और किसी भी परेशानी पर बात करेंगे।

4. अगर कोई देश किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है और दूसरे देश को उसकी डिजाइन पर आपत्ति है तो दूसरा देश उसका जवाब देगा, दोनों पक्षों की बैठकें होंगी। अगर आयोग समस्या का हल नहीं ढूंढ़ पाता है तो सरकारें उसे सुलझाने की कोशिश करेंगी।

5. इसके अलावा समझौते में विवादों का हल ढूंढ़ने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन में जाने का भी रास्ता सुझाया गया है।

संधि पर राजनीति

भारत में एक वर्ग का मानना रहा है कि इस समझौते से भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जम्मू-कश्मीर सरकार के मुताबिक इस संधि के कारण राज्य को हर साल करोड़ों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। संधि पर पुनर्विचार के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 2003 में एक प्रस्ताव भी पारित किया था। जबकि भारत सरकार की सोच ये भी है पाकिस्तान इस संधि के प्रस्तावों का इस्तेमाल कश्मीर में गुस्सा भड़काने के लिए कर रहा है।

विश्लेषक ब्रह्म चेल्लानी लिखते हैं कि भारत ने 1960 में ये सोचकर पाकिस्तान से संधि पर हस्ताक्षर किए कि उसे जल के बदले शांति मिलेगी लेकिन संधि के अमल में आने के पांच साल बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर 1965 में हमला कर दिया था। और अब चीन पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बड़े डैम बना रहा है, पाकिस्तान भारत की छोटी परियोजनाओं पर आपत्तियां उठा रहा है।

सिंध दरिया की कहानी

जिस सिंधु अर्थात् सिंध दरिया के बारे में बात की जा रही है उसकी कथा भी कम रोचक नहीं है। कहा यह जाता है कि वेदों में पवित्र दरिया गंगा का उल्लेख मात्र दो बार हुआ है जबकि जिस दरिया का उल्लेख 30 बार हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि सिंधु दरिया ही है, जो पूरे हिमालय में बहता है।

कहा जाता है कि रामायण में इसे 'महानदी' के रुप में चित्रित किया गया है तो ग्रीक तथा रोम के शासनकाल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यों में भी इसे स्थान मिला है। जबकि महाभारत में भी गंगा तथा सरस्वती नदियों के साथ साथ सिंधु दरिया का उल्लेख कई बार आता है।

यह याद रखने योगय तथ्य है कि सिंधु दरिया ने ही सिंध तथा हिन्द नाम दिए हैं। इतना ही नहीं सिंध दरिया पांच हजार पुरानी एक सभ्यता से भी परिचय करवाता है। सनद रहे कि हड़प्पा तथा महनजोदाड़ो सभ्यताओं के साथ-साथ सिंधु सभ्यता का नाम भी याद रखने योग्य है जो भारत के गौरव को बढ़ाता है। सिंधु दरिया विश्व के सबसे लंबे गिने जाने वाले दरियाओं में एक माना जाता है। इसकी लंबाई 2900 किमी है। दक्षिण-पश्चिम तिब्बत से इसका उदगम होता है जो 16000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह लद्दाख में लेह के पास से भारत में प्रवेश करता है। 2900 किमी लंबी अपनी यात्रा के दौरान कुल साढ़े चार लाख वर्ग मील क्षेत्रफल को घेरता है जिसमें पौने दो लाख वर्ग मील तो हिमालय के पहाड़ों में ही समा जाता है।

लेह में प्रवेश के उपरांत 11 किमी की दूरी तय करने के पश्चात इसमें पहला मिलन जंस्कार का होता है। दरिया जंस्कार इसमें मिलता है जो जंस्कार घाटी को हरा भरा रखने में मदद करता है। यह दरिया जंस्कार घाटी को पार करने के बाद बटालिक के रास्ते से होता हुआ पाकिस्तान में जा मिलता है जबकि पूरे पाकिस्तान में घूमता हुआ यह सागर में गिरता है।

पाकिस्तान की यात्रा आधी कर लेने के उपरांत इसमें उन दरियाओं का मिलन आरंभ हो जाता है जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहते हैं। यह हैं जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज। सिंधु दरिया का उल्लेख ऋग वेद में भी मिलता है तथा आर्य जाति के लोकगीतों में भी। भारत वर्ष का पुराना नाम भी सिंधु प्रदेश ही है। कहा तो यह भी जाता है कि जब भगवान शिव पार्वती के मृत शरीर को लेकर पर्वत पर्वत घूम रहे थे तो पार्वती का माथा सिंदूर के साथ इन्ही पर्वतों पर गिर पड़ा था जो आज कराची के पास सिंध बलुचिस्तान की सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान का दौरा भगवान राम, सीता तथा लक्ष्मण ने भी किया था। जबकि कवि-संत शाह अब्दुल लतीफ के काव्य में भी सिंधु अपना उल्लेख अवश्य देता है और आज यह दरिया जो पुरानी सभ्यता का द्योतक है नया पर्यटन स्थल बन गया है।

ओआईसी ने भारत को निमंत्रण दरअसल पाकिस्तान की मदद करने के लिए दिया है

भारत सरकार इस निमंत्रण पर अपनी पीठ थपाथपा रही है। इसे अपनी कूटनीति की सफलता बता रही है लेकिन इसके पीछे असलियत क्या हो सकती है ? मेरा अंदाज यह है कि दुनिया के इस्लामी देश पुलवामा-हत्याकांड के बाद भारत और पाक में युद्ध की संभावना को रोकना चाहते हैं। वे पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने भी इस पहल का विरोध नहीं किया है। हो सकता है कि यह पाकिस्तान के सुझाव पर ही किया गया हो। पाकिस्तान और उसके सभी मित्र देश यह मानते हैं कि पुलवामा-कांड में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है।

इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) की 50 वी वर्षगांठ पर भारत को उसने आमंत्रित किया है, यह बड़ी खबर है। दुनिया के 56 इस्लामी देशों का यह सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन ने भारत-जैसे देशों का हमेशा तिरस्कार किया है। भारत में दो-तीन मुस्लिम देशों को छोड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं लेकिन इस संगठन ने भारत को सदस्यता देना तो दूर की बात है, पर्यवेक्षक का दर्जा भी अभी तक नहीं दिया है। जबकि पर्यवेक्षक की तौर पर रूस, थाईलैंड और कई छोटे-मोटे अफ्रीकी देशों को सदैव बुलाया जाता है।

1969 में भारत के कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिराजी ने इस संगठन के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए मोरक्को भेजा था लेकिन पाकिस्तान के फौजी तानाशाह याय खान ने ऐसा षडयंत्र चलाया कि निमंत्रण पाने के बावजूद अहमद को अधिवेशन में भाग नहीं लेने दिया गया। उसके बाद पिछले 50 साल में जब भी इस संगठन का अधिवेशन हुआ, उसमें कश्मीर को लेकर भारत की भर्त्सना हुई। अब माना जा रहा है कि अबू धाबी में एक-दो मार्च को होने वाले इस अधिवेशन में भारत को जो आमत्रण मिला है, वह सउदी अरब और संयुक्त अरब अमारात की वजह से मिला है। वैसे पिछले साल बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने आग्रह किया था कि भारत को कम से कम पर्यवेक्षका दर्जा तो दिया जाए। यह दर्जा उसे अभी तक नहीं दिया गया है। तो फिर हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को विशिष्ट अतिथि की तरह क्यों बुलाया गया है ? उन्हें मुख्य भाषण देने के लिए क्यों कहा गया ?

भारत सरकार इस निमंत्रण पर अपनी पीठ ठोक रही है। इसे अपनी कूटनीति की सफलता बता रही है लेकिन इसके पीछे असलियत क्या हो सकती है ? मेरा मानना यह है कि दुनिया के इस्लामी देश पुलवामा-हत्याकांड के बाद भारत और पाक में युद्ध की संभावना को रोकना चाहते हैं। वे पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने भी इस आमत्रण का विरोध नहीं किया है। हो सकता है कि यह पाकिस्तान के सुझाव पर ही किया गया हो। पाकिस्तान और उसके सभी मित्र देश यह मानते हैं कि पुलवामा-कांड में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है।

कई पाकिस्तानी विश्लेषकों ने यह प्रचार भी शुरू कर दिया है कि पुलवामा कांड स्वयं मोदी ने करवाया है, क्योंकि इसी बहाने से वह अपनी डूबती बीजेपी को 2019 में बचा सकते हैं। सुषमाजी को इस तरह की मूर्खतापूर्ण और निराधार अफवाहों का वहां जोरदार खंडन करना ही होगा लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या अपने भाषण में वे पुलवामा-कांड के लिए पाकिस्तान को नाम लेकर जिम्मेदार ठहराएंगी ? यदि हां तो वहां भूचाल आ जाएगा। उन्हें अपना भाषण बीच में ही बंद करना होगा। और यदि वे पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगी तो वे अपनी सरकार की इकन्नी करवा देंगी। मोदी का उपहास उड़वा देंगी। वहां जाकर पुलवामा पर वैसा ही जबानी जमा-खर्च हो जाएगा, जैसा सउदी शाहजादे की भारत-यात्रा के दौरान हुआ और जैसा सुरक्षा-परिषद की विज्ञप्ति में हुआ।